



स्वच्छ सर्वेक्षण 2023

प्रलिस के लयः

SBM-U का दूसरा चरण ।

मेन्स के लयः

स्वच्छ भारत मशऱन, सरकारी नीतयऱँ और हसुतकषेप ।

चरुा में क्यऱँ?

आवास और शहरी मामलऱँ के मंत्रालय (MoHUA) ने [स्वच्छ भारत मशऱन शहरी 2.0](#) के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण (SS) 2023 का आठवाँ संस्करण लऱँच कयऱा है ।

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को अपशषऱत प्रबंधन में चहुँमुखी दशऱ में उपलब्धयऱँ प्राप्त करने के लयऱ तैयार कयऱा गया है । इस सर्वेक्षण में 3Rs (रडऱयूस, रसऱडकल ँड रीयूज) के सद्ऱधांत को प्राथमकऱता दी जाणगी, अरुथात् कचरा कम करें, पुनरुचकरण करें और पुनः उपयोग करें ।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023:

- स्वच्छ सर्वेक्षण को वर्ष 2016 में शहरी स्वच्छता की सुथऱतऱ में सुधार के लयऱ शहरऱँ और बड़े पैमाने पर नागरकऱ भागीदारी को प्रऱत्साहऱतऱ करने के लयऱ एक प्रतसऱपरदधी ढऱँचे के रूप में MoHUA द्वारा प्रारंभ कयऱा गया था ।
 - इन वर्षऱँ में स्वच्छ सर्वेक्षण दुनयऱा में सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में उभरा है ।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कचरे का स्रोत पर पृथककरण, अधकऱ अपशषऱतऱ उत्पन्न करने वाले शहरऱँ की अपशषऱतऱ प्रसंस्करण कषमता में वृद्धऱा और डंपसाडऱट पर जाने वाले कचरे को कम करने पर अधकऱ धयऱान दयऱा गया है ।
 - प्लासुतकऱ को चरणबद्ध तरीके से कम करने, प्लासुतकऱ कचरे के प्रसंस्करण, वेसुत टू वंडर पार्को को प्रऱत्साहऱतऱ करने और शून्य अपशषऱतऱ घटनाओं पर जऱोर देने हेतु अतरऱकऱतऱ भारांक के साथ संकेतक प्रेश कयऱे गए हैं ।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के माध्यम से शहरऱँ के भीतर वारुडऱँ की रैकगऱ को भी बढ़ावा दयऱा जा रहा है ।
- शहरऱँ में 'खुले सुथान पर मूतऱ' (पीले धबबे) और 'खुले सुथान पर थूक' (लाल धबबे) से संबंधऱतऱ मानको पर भी शहरऱँ का मूलयऱांकन कयऱा जाएगा ।
- MoHUA आवासीय और वयऱावसायकऱ कषेत्रऱँ में 'बैक लेन' की सफाई को बढ़ावा देगा ।

स्वच्छ भारत मशऱन शहरी 2.0:

- परचयः
 - केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषऱतऱ स्वच्छ भारत मशऱन शहरी 2.0, स्वच्छ भारत मशऱन शहरी के प्रथम चरण की एक नरऱतर शरुंखला है ।
 - सरकार शऱँचालयऱँ के माध्यम से सुरकषऱतऱ प्रवाह, मल कीचड के नपऱटान और सेपुटेज का उपयोग करने का भी प्रयऱास कर रही है ।
 - शहरी भारत को [खुले में शऱँच से मुक्त \(ODF\)](#) बनाने और नगरपालकऱा के ठऱस कचरे का 100% वैजुजानकऱ प्रबंधन सुनशऱचऱतऱ करने के उद्देशु से 2 अकतूबर, 2014 को SBM-U का पहला चरण शुरु कयऱा गया था जो अकतूबर 2019 तक चला ।
 - इसे 1.41 लाख करोडु रुपए के परवऱयय के साथ वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक पाँच वर्षऱँ में लागू कयऱा गया है ।
 - इस मशऱन को "अपशषऱतऱ से धन" (Waste to Wealth) और ["चकरीय अरुथवयवसुथा"](#) के वयऱापक सद्ऱधांतऱँ के तहत कारयऱानवतऱ कयऱा जा रहा है ।
- उद्देशुयः
 - यह कचरे का स्रोत पर पृथककरण, एकल-उपयोग वाले प्लासुतकऱा और वायु प्रदूषण में कमी, नरऱमाण एवं वधऱवसु गतवऱधऱतऱयऱँ से उत्पन्न कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन तथा सभी पुराने डंपसाडऱट के [बायऱोरेमेडऱशऱन](#) पर केंदरऱतऱ है ।
 - इस मशऱन के तहत सभी अपशषऱतऱ जल को जल नकऱायऱँ में छोडने से पहले ठीक से उपचारऱतऱ कयऱा जाएगा और सरकार इसके अधकऱतम

उपयोग को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है।

■ **मशिन के संभावित परिणाम:**

- इससे सभी वैधानिक शहर (पानी, रखरखाव और स्वच्छता के साथ शौचालयों पर केंद्रित) ODF+ प्रमाणित हो जाएंगे।
- 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर (कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के साथ शौचालयों पर केंद्रित) ODF++ प्रमाणित हो जाएंगे।
- 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक कस्बों का 50% जल + प्रमाणित हो जाएगा (जसिका उद्देश्य पानी के उपचार और पुनः उपयोग करके शौचालयों को बनाए रखना है)।
- कचरा मुक्त शहरों के लिये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार, सभी वैधानिक कस्बों को कम-से-कम **कचरा मुक्त 3-सटार दर्जा** दिया जाएगा।
- सभी पुराने डंपसाइट्स का बायोरेमेडिएशन(जैव उपचार)।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/swachh-survekshan-2023>

